राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी–
सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 09 / 2022
जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 14

महिपाल पुत्र हनुमान उम्र 61 साल जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

...........वादी

– बनाम –

1. माडूराम पुत्र हनुमान उम्र 79 साल जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2 राजपाल पुत्र सरदारा उम्र 43 साल जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. सुरेश पुत्र सरदारा उम्र 40 साल जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बनवास जरिये शाखा प्रबन्धक बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू– अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

<u>दावा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>राज. टिनेन्सी एक्ट धारा 53 एवं 188 सपठित</u>

<u>–::निर्णय::–</u>

दिनांक :– 07.08.2023

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार किया कि–

1. यह कि वाके ग्राम माकड़ो उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 158 रकबा 0.55 है. ख.न. 163 रकबा 0.55 है. ख.न. 51 रकबा 0.61 है. ख.न. 6 रकबा 0.50 है. ख.न. 7 रकबा 0.98 है. ख.न. 765 / 50 रकबा 0.47 है. ख.न. 779 / 241 रकबा 0.90 है. ख.न. 780 / 241 रकबा 0.91 है. ख.न. 781 / 241 रकबा 0.83 है. किता 9 कुल रकबा 6.30 है. में वादी का 1 / 3 हिस्सा है व प्रतिवादी सं. 1 का 1 / 3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 का प्रत्येक 1 / 6 – 1 / 6 कुल 1 / 3 हिस्सा है वादी अपने 1 / 3 पर काबिज कास्त है लेकिन वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त है।

2. यह कि वाद वर्णित भूमि में [illegible] 1 / [illegible] है जिस पर वह शान्तिपूर्वक काबिज है लेकिन वादी की भूमि का 1 / 3 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के साथ संयुक्त रहने से वादी को [illegible] सीमाएं कायम रखने एवं उसमें सुधार कार्य करने तथा अन्य प्रयो[illegible] भारी परे[illegible]होती है जबकि वादी को अपने हिस्से में आ[illegible] हिस्सा अर्थात 2.10 [illegible]बा विभाजन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्राप्त करने का अधिकार है एवं सीमाकंन एवं मापन करवाकर खाता विभाजित करवाने का अधिकार है।

3. यह कि वादी ने अपने हिस्से के विभाजन हेतु एवं अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अर्थात 2.10 है. रकबा के विभाजन हेतु प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 से कहा एवं राजस्व कैम्प मे भी विभाजन हेतु कहा तो उन्होने विभाजन से इन्कार कर दिया एवं जिससे वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।

4. यह कि वादी ने अपने 1/3 हिस्सा में आने वाले 2.10 है. रकबा के विभाजन हेतु प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को कहा तो उन्होने विभाजन से इन्कार करते हुये वादी के 1/3 हिस्सा में आने वाला रकबा भी उसके हिस्से के अनुसार देने से इन्कार कर दिया जबकि वादी को अपने हिस्से का विभाजन करवाने एवं अपने 1/3 हिस्सा में आने वाले 2.10 है. रकबा विभाजन में प्राप्त करने का अधिकार है इसलिये वादी के लिये अपने अधिकारों की सुरक्षा व अपने हिस्से की भूमि के विभाजन हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 द्वारा खाता विभाजन से इन्कार करने एवं वादी के हिस्से मे आने वाले 1/3 हिस्सा के 2.10 है. रकबा को वादी को विभाजन में देने से इन्कार करने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम माकड़ों में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में है इसलिये यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

7. यह कि प्रतिवादी सं. 4 से प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने ऋण ले रखा है तथा प्रतिवादी सं. 5 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

8. यह कि दावा खाता विभाजन के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए भी 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये दावा दो रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

9. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति मे हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

10. यह कि विवादित भूमि का अपडेटड रिकार्ड पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा हैं कि :–

(क) कि वाके ग्राम माकड़ो उप[illegible]हाना स्थित भूमि हाल ख.न. 158 रकबा 0.55 है. ख.न. 163 रकबा 0.55 है. [illegible] रकबा 0.61 है. ख.न. 6 रकबा 0.50 है. ख.न. 7 रकबा 0.98 है. ख.न. [illegible] है. ख.न. 779/241 रकबा 0.90 है. ख.न. 780/241 रकबा 0.91 है. ख.न. 781/24[illegible] 0.83 है. किता 9 कुल रकबा 6.30 है. में वादी के 1/3 हिस्सा [illegible] लगायत 3 से विभाजित कर रास्ता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चाहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रावधान करते हुये वादी को उसके हिस्से मे आने वाला 2.10 है.रकबा विभाजन में दिये जाने की कृपा करे एवं लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिये जाने की कृपा करे।

(ख) कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वाके ग्राम माकड़ो स्थित भूमि ख.न. 158 रकबा 0.55 है. ख.न. 163 रकबा 0.55 है. ख.न. 51 रकबा 0.61 है. ख.न. 6 रकबा 0.50 है. ख.न. 7 रकबा 0.98 है. ख.न. 765/50 रकबा 0.47 है. ख.न. 779/241 रकबा 0.90 है. ख.न. 780/241 रकबा 0.91 है. ख.न. 781/241 रकबा 0.83 है. किता 9 कुल रकबा 6.30 है. के बिना विभाजन किसी भी भाग को बेचान, दान, हस्तानान्तरित नही करे एवं इसमें खड़े हरे पेड़ो को काटकर बेचान नही करे किसी स्ट्रेन्जर परचेजर को कब्जा नही देवे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करवाये। तथा प्रतिवादी सं. 4 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत दान, बेचान, हस्तानान्तरण विलेख को पंजिकृत नही करे ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारीयों से करावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री मनोज कुमावत एडवोकेट प्रस्तुत कर इकबालिये दावा प्रस्तुत प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया गया कि वाद वर्णित भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जेकास्त अनुसार हमारा भी खाता विभाजन किया जावे। शेष प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 06–10–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉट क्रमांक 670 दिनांक 28.02.2023 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 01.03.2023) को प्राप्त हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकरान ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा [illegible] संख्या 1 लगायत 3 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः [illegible] ग्राम [illegible] बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 158 रकबा 0.55 है. ख.न. 163 रकबा 0.55 है. ख.न. 51 रकबा 0.61 है. ख.न. 6 रकबा 0.50 है. ख.न. 7 रकबा 0.98 है. ख.न. 765/50 रकबा 0.47 है. ख.न. 779/241 रकबा 0.90 है.

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ख.न. 780/241 रकबा 0.91 है. ख.न. 781/241 रकबा 0.83 है. किता 9 कुल रकबा 6.30 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 09/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/14
निर्णय दिनांकः– 04.08.2023

महिपाल **बनाम** माडूराम आदि

<u>दावा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री मनोज कुमावत एडवोकेट की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **04.08.2023** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि –

"न्यायालय वाद वादी एव प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम माकड़ो तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 158 रकबा 0.55 है. ख.न. 163 रकबा 0.55 है. ख.न. 51 रकबा 0.61 है. ख.न. 6 रकबा 0.50 है. ख.न. 7 रकबा 0.98 है. ख.न. 765/50 रकबा 0.47 है. ख.न. 779/241 रकबा 0.90 है. ख.न. 780/241 रकबा 0.91 है. ख.न. 781/241 रकबा 0.83 है. किता 9 कुल रकबा 6.30 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **04.08.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:36 IST
Reason: SelfAttested